न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 7 /2020 तारीखरजू:– 24-1-2020

उनवान:– सुरेश बनाम रामचरण वगै0

दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
24-1-2020	वादी की और से श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 31.01.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	
31.1.20	वादी वकील उप0। प्रतिवादी नं. 1, 2 के सम्मन परिवार के सदस्यो पर तामील हुए है किन्तु उपस्थित नही० हो प्रतिवादी नं. 3 का सम्मन बाद तामील प्राप्त नही है। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 7.2.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4.2.20	वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर मुकदमा खारिज कराने पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से मुकदमा खारिज कराने का कथन कर हस्ताक्षर किये। अत: यह दावा Not Press में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	सुरेश Sd. (हस्ताक्षर) Adv.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested